उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०-सा० नि०) अनुभाग-7
संख्याः —/XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक23जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पर्वतीय विकास भत्ता
(2) सीमान्त विकास खण्ड भत्ता
(3) वाहन भत्ता
(4) सचिवालय विशेष भत्ता
(5) सचिवालय परिचारकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(6) सचिवालय चालकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(7) नागरिग उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पायलटों/अभियन्ताओं तथा कर्मचारियों को देय योग्यता भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष उड़ान भत्ता तथा ऐवियेशन भत्ता।
(8) पुलिस विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी एवं धुलाई भत्ता
(9) चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्ट को अनुमन्य इंचार्ज भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(10) नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को नर्सिंग एवं बोर्डिंग (पौष्टिक आहार भत्ता) भत्ता, वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(11) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अनुमन्य विशेष प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
(12) राजस्व विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को अनुमन्य स्टेशनरी भत्ता, गोशवारा भत्ता एवं कार्यालय किराया भत्ता।

2. नई नियुक्ति/पदोन्नति/एम०ए०सी०पी० इत्यादि की स्थिति में पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्त भत्ते समतुल्य अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सापेक्ष अनुमन्य होंगे।

3. उपरोक्त भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 20 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

I.T
uploaded
24.1.19

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Modo - manage your online data. Learn More>